न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारीः—सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः—88/20 (2020/00137) प्रार्थना पत्र

अनवान

1. लादुलाल पिता रंगलाल चोरड़िया निवासी सगरेव तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रार्थी

बनाम

1. नाथुलाल पिता रंगलाल चोरड़िया निवासी सगरेव तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. रतनलाल पिता रामलाल चोरड़िया निवासी सगरेव तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3. शान्ताबाई पुत्री रामलाल चोरड़िया निवासी सगरेव तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4. हस्तीमल पिता भैरूलाल चोरड़िया निवासी सगरेव तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
5. दिनेश पिता भैरूलाल चोरड़िया निवासी सगरेव तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
6. पिन्टु पिता भैरूलाल चोरड़िया निवासी सगरेव तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
7. मनीष पिता भैरूलाल चोरड़िया निवासी सगरेव तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
8. तेजमल पिता मोहनलाल चोरड़िया निवासी सगरेव तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
9. गौतम पिता मोहनलाल चोरड़िया निवासी सगरेव तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
10. खेमराज मुतबन्ना चान्दमल चोरड़िया निवासी सगरेव तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
11. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

विपक्षीगण

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम</u>

उपस्थित

1. श्री सुनिल बाफना — प्रार्थी अधिवक्ता
2. श्री जाकिर हुसैन, फारूख मोहम्मद — विपक्षीगण अधिवक्ता

निर्णय दिनांकः—04.09.2020

पत्रावली आज पेश हुई। प्रकरण का सक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि ग्राम सगरेव पटवार हल्का सगरेव तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी में वादी एंव प्रतिवादीगण की शामलाती खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की खाता संख्या 289 आराजी संख्या 1196 रकबा 0.15 है0, आराजी संख्या 1201 रकबा 0.09 है0, आराजी संख्या 1241 रकबा 0.14 है0, आराजी संख्या 1770 रकबा 0.32 है0, आराजी संख्या 1792 रकबा 0.03 है0, आराजी संख्या 1793 रकबा 0.27 है0, आराजी संख्या 1796 रकबा 0.47 है0, आराजी संख्या 1802 रकबा 0.42 है0, आराजी संख्या 1804 रकबा 0.40 है0, आराजी संख्या 1841 रकबा 0.14 है0, आराजी संख्या 1842 रकबा 0.03 है0, आराजी संख्या 1843 रकबा 0.11 है0, आराजी संख्या 1853 रकबा 0.14 है0, आराजी संख्या 2082 रकबा 0.03 है0, आराजी संख्या 2083 रकबा 0.18 है0, आराजी संख्या 2084 रकबा 0.18 है0, आराजी संख्या 2085 रकबा 0.60 है0, आराजी संख्या 2086 रकबा 0.34 है0, आराजी संख्या 2087 रकबा 0.11 है0, आराजी संख्या 2088 रकबा 0.13 है0, आराजी संख्या 2089 रकबा 0.13 है0, आराजी संख्या 2090 रकबा 0.22 है0, आराजी संख्या 2091 रकबा 0.15 है0, आराजी संख्या 2092 रकबा 0.14 है0, आराजी संख्या 2093 रकबा 0.33 है0, आराजी संख्या 2332 रकबा 0.23 है0, आराजी संख्या 2237 रकबा 0.65 है0, आराजी संख्या 2356 रकबा 0.38 है0 कुल किता 28 कुल रकबा 6.51 है0 भूमि स्थित है। उक्त आराजि[illegible] प्रार्थी का 1/6 हिस्सा

Signature Not Verified
Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2020.09.17 11:52:00 IST
Reason: SelfAttested

दर्ज रेकार्ड है। विभालन नही होने से वाद अर्न्तगत धारा 53 का प्रस्तुत कर दिया है। जिसके प्रकरण संख्या 60/19 है। विपक्षीगण की आराजी संख्या 1201 व आराजी संख्या 1196 में नींव खोद दी है व अतिशिघ्र निमार्ण करने वाले है तथा अन्य आराजियात पर भी निमार्ण करने पर आमादा है तथा बिना विभाजन कराये ही विक्रय/हस्तान्तरित करने का उपक्रम कर रहे है। जबकि सामलाती आराजियात का बिना विभाजन कराये निमार्ण व विक्रय काननुन नही किया जा सकता है। अतः सादर प्रार्थना है कि न्यायहित में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर ताफैसला वाद इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थी के पक्ष में विरूद्व विपक्षी संख्या 1 लगायत 10 इस आशय की पारित फरमाई जावे कि प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजियात में विपक्षी संख्या 1 से 10 किसी प्रकार का निमार्ण नहीं करे न ही प्रार्थीगण के कब्जेकाश्त में व्यवधान पैदा करे, न बिना विभाजन कराये किसी अन्य को भूमि का विक्रय करे, न उक्त आराजियात में अजनबी व्यक्ति को प्रवेश करावे। उक्त कृत्य न तो स्वयं करे न अन्य से करावे, तथा विपक्षी संख्या 11 उक्त आराजियात के सम्बन्ध में किसी प्रकार के दस्तावेज का पंजीयन नहीं करें।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के आधार पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर विपक्षी को नोटिस जारी किया गया। नोटिस की पालना में विपक्षी संख्या 1 व 10 की ओर से जवाब पेश किया जो शामिल पत्रावली है। विपक्षीगण द्वारा जवाब में अकंन किया कि विपक्षीगण के सामलाती खाते में कुल किता 28 रकबा 6.51 है0 भूमिया जमाबन्दी में दर्ज रेकार्ड है जिस पर संयुक्त कब्जा नही होकर 100 वर्षो से भी अधिक समय समय अलग अलग कब्जा चला आ रहा है। प्रार्थी वादग्रस्त आराजियात का बाई मीट्स एण्ड बोण्डस के आधार पर विभाजन कराने का अधिकारी नही है। विपक्षीगण कब्जे अनुसार विभाजन कराने में सहमत है। आराजी संख्या 1201 आबादी के पास होकर विपक्षी 4 से 9 का कब्जा है जिस पर विपक्षीगण के पुराने मकान बने हुए थे। विपक्षी संख्या 8 व 9 ने अपना पुराना मकान तोड़कर नया निमार्ण किया है आराजी संख्या 1196 आबादी के पास है जिस पर विपक्षी 1 ने अपनी चारदीवारी काफी समय से बना रखी है। प्रार्थी व विपक्षीगण के पूर्वजो के मध्य 100 वर्ष पूर्व ही आपसी सहमति से विभाजन हो गया था सभी खातेदार अपनी अपनी भूमि पर काबिज होकर उपयोग उपभोग कर रहे है। प्रार्थी दुबारा विभाजन कराने का अधिकारी नही है। प्रार्थी का प्रथम दृष्टया मामला नही होकर विपक्षीगण का मामला है। विपक्षीगण द्वारा लाखो रूपये लगाकर भूमि को आबाद किया, उपजाउ बनाया जिससे विपक्षीगण को अपूर्णीय क्षति होगी। सुविधा का सन्तुलन विपक्षीगण के पक्ष में है। अतः प्रार्थना पत्र खारीज फरमाया जावे। मजीद कथन के रूप में भी इन्ही बातो को दौहराते हुए प्रार्थी व विपक्षीगण के मूल पुरूष रिकबचन्दजी के जीवनकाल से उनके तीनो पुत्र रंगलाल, छगनलाल, हीरालाल के मध्य आपसी सहमति से मौखिक विभाजन के आधार पर काबिज होकर उपयोग उपभोग कर रहे है। विपक्षीगण और प्रार्थी का अलग अलग कब्जा एवं चारदीवारी बनी हुई है जिससे विपक्षीगण को वादग्रस्त आराजियात में काबिज भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित फरमाया जावे। अतः बहक विपक्षीगण विरूद्व प्रार्थी ताफैसला मूलवाद के इस आशय की असथाई निषेधाज्ञा जारी फरमावे कि ग्राम सगरेव के खाता संख्या 289 में अकिंत कुल किता 28 कुल रकबा 6.51 है0 भूमि में किसी प्रकार दखलंदाजी न तो स्वयं करे न अन्य से करावे। विपक्षीगण को उनके कब्जे काश्त की भूमि का शान्तिपूर्वक उपयोग उपभोग करने देवे।

Signature Not Verified

Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2020.09.17 11:52:00 IST
Reason: SelfAttested

प्रस्तुत प्रकरण में दिनांक 02.09.2020 को जवाब पेश हुआ और प्रकरण में वर्णित आराजियात बाबत् इस न्यायालय से स्थगन भी जारी किया गया था जिसको लेकर दोनो पक्षो के मध्य परिवार में काफी विवाद गहराने लगा और यहां तक की कानुन व्यवस्था स्थिति प्रभावित होने की संम्भावना होने से दोनो पक्षो को दिनांक 03.09.2020 को न्यायालय में बुलाया गया और दोनो पक्षो के अधिवक्ताओ की उपस्थिति में पक्षकारान से जानकारी ली गई जिसमें वादी लादुलाल सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे और इसके साथ में प्रतिवादीगण भी उपस्थित थे जिनसे पुछताछ करने पर सभी पक्षकारो के द्वारा यह अवगत कराया कि हमारे परिवार में वर्षो पूर्व हमारे पूर्वजो के द्वारा जो आपसी सहमति से बंटवारे किये गये थे उसी अनुसार सभी पक्षकारान अपने अपने हक हिस्से अनुसार काबिज होकर उपयोग उपभोग करते आ रहे है। वाद के पूर्व पक्षकारो के मध्य कोई विवाद नही था किन्तु परिवार में किसी छोटी मोटी बात को लेकर पक्षकारो के मध्य आपस में मनमुटाव हो गया जिससे वाद पेश किया गया और वादवर्णित आराजियात में विपक्षीगण अपने हक हिस्से की भूमि में निमार्ण करने से और उक्त भूमि सामलाती दर्ज होने से न्यायालय से स्थगन जारी कराया गया। मौके पर सभी पक्ष अपने अपने हक हिस्से अनुसार काबिज है विवाद काफी बढ़ रहा है ऐसी स्थिति में न्यायालय श्रीमान मौके पर पधारकर मजमेआम रेकार्ड और मौके से जांच कर जिसका कब्जा जैसा हो उस अनुसार विभाजन करा दिया जावे जिसमें किसी पक्ष को कोई आपत्ति नही होगी और पक्षकारान की उक्त वार्ता के दौरान दोनो पक्षो के उपस्थित अधिवक्ताओ के द्वारा भी सहमति व्यक्त की गई कि हिस्से एवं कब्जे को ध्यान में रखते हुए तीनो प्रकरणो में आराजियात का खातेदारो के मध्य विभाजन कराने में सभी पक्ष सहमत होने से हम अधिवक्ताओ को भी कोई आपत्ति नही है।

दिनांक 03.09.2020 को न्यायालय में दोनो पक्षो के मध्य हुई सहमति के अनुसार दिनांक 04.09.2020 को न्यायालय पीठासीन अधिकारी स्वयं बशामलात पक्षकारान मय अधिवक्ता एवं तहसीलदार रायपुर भू अभिलेख निरीक्षक, पटवारी एवं ग्राम के उपस्थित मौतबिरान के समक्ष मजमेआम वाद वर्णित आराजियात के सम्बन्ध में मुख्य मुख्य विवादित आराजियात के कब्जे बाबत् जानकारी ली गई तो इस प्रकरण में वर्णित आराजियात बाबत् मौके पर कब्जे को लेकर कोई विवाद नही होना पाया गया जिस पक्ष का मौके पर जिस आराजियात पर कब्जा हो उस अनुसार हिस्से को ध्यान में रखते हुए उसके नाम विभाजन कराया जावे जिसमें किसी भी पक्ष को कोई आपत्ति नही है और न भविष्य में होगी। मौके पर पीठासीन अधिकारी की उपस्थिति में जो मौका पर्चा बनाया गया उसमे विवादित आराजी नम्बर 1196 रकबा 0.15 है0 नाथुलाल चोरड़िया के कब्जे में आराजी नम्बर 1201 रकबा 0.09 है0 भूमि मोहलालजी के वारीसान दिनेश तेजमल गौतम वगैरा के कब्जे मे एवं आराजी नम्बर 1206 रकबा 0.05 है0 व आराजी नम्बर 1207 रकबा 0.05 है0 लादुलाल चोरड़िया का कब्जा व आराजी नम्बर 1842 व 1843 पर भी लादुलाल का कब्जा होना मजमेआम में जानकारी से पाया इनके अलावा तीनो ही प्रकरणो में शेष आराजियात को लेकर मौके पर कोई विवाद नही होना बताया और सभी पक्ष अपने अपने हक हिस्से अनुसार खातेदार मौके पर काबिज है उसी अनुसार तीनो ही प्रकरणों में कब्जे व हिस्से को ध्यान में रखते हुए प्राथमिक डिक्री जारी की जावे। पर्चे मौके की प्रमाणित प्रति इसमें साथ सलंग्न की गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2020.09.17 11:52:00 IST
Reason: SelfAttested

मैने पत्रावली का अवलोकन किया पत्रावली में तथा उपलब्ध रेकार्ड एवं प्रार्थी व विपक्षीगण अधिवक्ता की बहस पर मनन किया तो पाया कि इस प्रकरण में वर्णित आराजियात प्रार्थी व विपक्षीगण के सामलाती खाते में दर्ज है किन्तु मौका जांच के अनुसार दोनो पक्षो के मध्य काफी समय पूर्व इनके पूर्वजो द्वारा किये गये विभाजन अनुसार काबिज है और मौके पर कब्जे को लेकर भी कोई विवाद नही होना पाया गया सभी पक्षो द्वारा एक स्वर में स्वीकार कर सहमति व्यक्त की गई कि जिस तरह से हमारे पूर्वजो ने विभाजन कर रखा है उसी अनुसार हम काबिज है और जिसमें किसी भी पक्ष द्वारा कोई भी निमार्ण करे उपयोग उपभोग करे जिसमें किसी दुसरे पक्ष को कोई आपत्ति नही है। इन्ही आराजियात एवं दोनो पक्षो के मध्य विचाराधीन प्रकरणो में वाद प्राथमिक डिक्री किया जा चुका है ऐसी स्थिति में इस न्यायालय द्वारा दिनांक 31.07.2020 को दिये गये अन्तरिम आदेश को कन्फर्म किया जाना उचित नही है। अर्थात आवेदन अस्वीकार योग्य है।

आदेश

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 में वर्णित आराजियात का आपसी सहमति अनुसार पक्षकारान के पूर्वजो द्वारा किये गये बंटवाड़े अनुसार दोनो पक्ष काबिज होने की तस्दीक दिनांक 04.09.2020 को न्यायालय द्वारा की जाने से एवं दोनो पक्षो के द्वारा पूर्व में विभाजन अनुसार अपना अपना कब्जा होना स्वीकार करने से उक्त प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाता है। पत्रावली मूल वाद के साथ संलग्न की जावें बाद दाखला पत्रावली निर्णित शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 04.09.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

4.9.2020

(सुन्दर लाल बम्बोडा)
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा

सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर (भीलवाड़ा)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2020.09.17 11:52:00 IST
Reason: SelfAttested